

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक (प्रशिक्षण),
प्रशिक्षण महानिदेशालय,
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय,
प्रथम तल, सी०आई०आर०टी०एस० बिल्डिंग,
आई०ए०आर०आई० कैम्पस, पूसा नई दिल्ली-110012.

पत्रांक: 3388/टी-3/रा०प०/सं०/मान्यता/2021

लखनऊ, दिनांक 17.08.2021

विषय: निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधी मंतव्य उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशालय पत्र संख्या-3238//टी-3/रा०प०/सं०/बी०जी०/2020 दिनांक 26.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के निजी आई०टी०आई० को खोले जाने संबंधी संबंधन प्रक्रिया के अन्तर्गत शासनदेश संख्या-3031/89-व्या०शि०एवं कौ०वि०वि०-2018-125(बी)/87 टीसी दिनांक 24.09.20218 तथा 20219/89-व्या०शि०एवं कौ०वि०वि०-2018-125(बी)/87 टीसी दिनांक 25.09.2020 में निहित प्राविधानों के क्रम में सभी आवेदनकर्ता संस्थान प्रबंधकों/प्रधानाचार्यों से बैंक प्रतिभूति जमा करायी गयी। जमा बैंक प्रतिभूति का सत्यापन जारीकर्ता बैंकों से कराने के उपरान्त संदिग्ध पायी गयी बैंक प्रतिभूतियों पर अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु निदेशालय के पत्र संख्या-64/निदेशक कैम्प/2021 दिनांक 23.06.2021 द्वारा छः सदस्यीय समिति गठित करते हुये समिति द्वारा संस्तुति उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये थे। समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही प्रस्तावित है:-

- 1.-(क) ऐसे 40 नवीन संस्थानों जिन्होंने संदिग्ध बैंक प्रतिभूति जमाकर वर्ष-2019-20 या 2020-21 में मान्यता प्राप्त कर ली है के वर्ष-2019-20 व 2020-21 में मान्यता प्राप्त व्यवसाय/एककों हेतु सत्र-2021-22 में प्रशिक्षार्थियों का प्रवेश न किया जाय। (संलग्नक-1)
- (ख) पूर्व से संवालिit ऐसे 21 संस्थानों जिन्होंने संदिग्ध बैंक प्रतिभूति जमाकर वर्ष-2019-20 या 2020-21 में मान्यता प्राप्त कर ली है, के वर्ष-2019-20 व 2020-21 में मान्यता प्राप्त व्यवसाय/एककों हेतु वर्ष-2021-22 में प्रशिक्षार्थियों का प्रवेश न किया जाय। (संलग्नक-2)

2. ऐसे 657 नवीन आवेदनकर्ता जिन्होंने संदिग्ध बैंक प्रतिभूति जमाकर मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था किन्तु अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुयी है, के आवेदन पर मान्यता संबंधी कोई भी अग्रेतर कार्यवाही न की जाय। (संलग्नक-03)
3. ऐसे 160 आवेदनकर्ता जिनके संस्थान पूर्व से संचालित थे तथा उनके द्वारा संदिग्ध बैंक प्रतिभूति जमाकर अतिरिक्त व्यवसाय/एककों की मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था किन्तु अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुयी है, के आवेदन पर मान्यता संबंधी कोई भी अग्रेतर कार्यवाही न की जाय। ऐसे संस्थानों के पूर्व से मान्यता प्राप्त व्यवसाय/एककों के विरुद्ध अन्य कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। (संलग्नक-04)
4. ऐसे संस्थान (नवीन तथा पूर्व से संचालित) जिनके द्वारा जमा बैंक प्रतिभूति जारीकर्ता बैंकों से सत्यापन के उपरान्त सही पायी गयी किन्तु उन्हें अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की गयी है, के आवेदन पर मान्यता संबंधी अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
5. प्रदेश सरकार द्वारा निजी आईटी0आई0 से बैंक प्रतिभूति जमा कराने की व्यवस्था को उत्तर प्रदेश हेतु निर्धारित संबंधन प्रक्रिया में सम्मिलित कराने का कष्ट करें।


उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि श्रेणीवार वर्गीकृत संस्थानों के संबंध में उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

 (कुणाल सिल्कु)
 निदेशक

पत्रांक: /टी-3/रा0प0/सं0/मान्यता/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-संयुक्त निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, असीगंज, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सूची में उल्लिखित ऐसे संस्थान जिन्होंने संदिग्ध बैंक प्रतिभूति जमाकर वर्ष-2019-20 या 2020-21 में मान्यता प्राप्त कर ली है अथवा पूर्व से संचालित व्यवसाय/एककों में वृद्धि कर ली है, के वर्ष-2019-20 व 2020-21 में मान्यता प्राप्त व्यवसाय/एककों हेतु वर्ष-2021-22 में प्रशिक्षार्थियों का प्रवेश न किया जाय।


 (कुणाल सिल्कु)
 निदेशक

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
M.D Nagla Murari Sarsaul ITI
Nagla Murari Falmandi Sarsol Aligarh, -202001
Uttar Pradesh (PR09000106)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि -आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(रवि चिलुकीटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)
भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Dr. B.R. Ambedkar Pvt I.T.I
Sahroj Mau-275305
Uttar Pradesh (PR09000277)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एंकों की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय

21/9/21
(रवि चिल्लुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(पी एम दामोदरम) 01/09/21

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)
भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Jai Bajarang Private ITI
Vill Dhubav Post Pakadi Distt Azamgarh-276123
Uttar Pradesh (PR09000377)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


01/09/21

(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Karma Private ITI
Samda Amsin Goshanganj
Faizabad -224141, Uttar Pradesh (PR09000467)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


01/09/21

(पी एम दामोदर)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)
भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
M. M. College of Private ITI
Manota ssStreet, Kasganj-207123
Uttar Pradesh (PR09000481)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Gramodaya Private ITI
Rampur Sardha Faizabad- 224001
Uttar Pradesh (PR09000521)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)
भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Babu Harihar Singh ITI
Bhawanipur, Itayal, Atraulia, Azamgarh- 223223
Uttar Pradesh (PR09000503)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)
भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Arihant Private ITI
Vill Kathauni Post Kariyagopalpur
Distt Azamgarh- 276201, Uttar Pradesh (PR09000497)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय
01/09/2021
(रवि चिलुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


01/09/21

(पी एम दामोदरम)
सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
S. S. Private ITI
Todapur Etah - 207001
Uttar Pradesh (PR09000523)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**


महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ .2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय




(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी एम दामोदरन्)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012.

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Indu Prakash Private ITI
Shadatpura Mau- 275101
Uttar Pradesh - (PR09000617)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Ramakanat Private ITI
Ghazipur- 275204, Uttar Pradesh (PR09000691)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Banshidhar Private ITI
Vill + Post- Kushmor, Distt- Mau- 221603
Uttar Pradesh (PR09000714)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एंकों की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रावे चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Maa Vaishnavi Private ITI
Barahpur, Nandganj, Ghazipur-233302
Uttar Pradesh (PR09000727)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daif/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Jay Maa Vaishno devi pvt. ITI,
Shankarpur, Udrai, Ghaziur
Uttar Pradesh

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
H.L. ITI
Vill-Rampur Ahirauli, Post- Beni Gaddoupur
Dist- Faizabad- 224203, Uttar Pradesh (PR09000951)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Azamgarh Private ITI
Vill-Surai, Post-Fariha, Nizamabad, Azamgarh-223227
Uttar Pradesh (PR09001027)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(रवि चिल्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
S.N.S. K Private ITI
Village Bhawaraha post Pandeypur
Radhey tehsil sad Ghazipur- 233300
Uttar Pradesh (PR09901273)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Bansh Narayan Baleshwar Ji Private ITI
Vill Amaura Post Pandaha Tehsil Lalganj
Distt Azamgarh- 276202, Uttar Pradesh (PR09900885)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एंकों की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(रवि चिलुकार्ते)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Shree Dinesh Bhaiya Pvt ITI
Sidpura, Kasganj - 207264
Uttar Pradesh (PR09901267)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एंकों की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


01/09/21

(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
R N Private ITI
Vill. & Post Nagra, Ballia- 221711
Uttar Pradesh (PR09900641)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय

28/8/2021
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Akbar Singh Private ITI,
Nh-11, Jaipur Road, Village-Ladamda
Post-Bichpuri, Distt- Agra- 282010
Uttar Pradesh (PR09900655)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय

21/09/2021
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


01/09/21

(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Kalpnath Rai Private ITI
Khoribari Rampur Bhatni Deoria Pin-274701
Uttar Pradesh (PR09900748)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Gayatri Private ITI
Ram Nagar Amawasufi Ayodhya,
Faizabad-224121, Uttar Pradesh (PR09901349)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एंकों की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


01/09/21

(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)
भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालयSS
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Jhansi Pvt. ITI,
Bus Stand Road Duratiya Barua Sagar.
Jhansi- 284201, Uttar Pradesh (PU09001958)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Ramadhar Private ITI
Vill Raispur Post Mudiyaar Teh Saidpur
Dist Ghazipur -233304, Uttar Pradesh (PR09900792)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 ss के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एंकों की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


010921

(पी एम दामोदरम)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Shri Kawal Dhari Private ITC
Baba Katayiganj Iswarpur, Azamgarh-276207
Uttar Pradesh (PR09001055)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिल्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


01/09/21

(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Smt. Kanti Devi Private ITC
Vill & Post-Hirrapati, Distt-Azamgarh- 276001
Uttar Pradesh (PR09001037)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


01/09/21

(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Central ITI
Vill-Baghol, Post-Jangipur, Dist-Ghazipur- 233005
Uttar Pradesh (PR09001141)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


01/09/21

(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Shri Lallanlal Shrivastava (SLS.) ITI
Bansdih, Ballia, 277202, Uttar Pradesh (PR09001249)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एंकों की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


01.09.21

(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Babu Lal Singh Ji Private ITI
Bhagaura Sahajanwa Gorakhpur-273209
Uttar Pradesh (PR09001364)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एंकों की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(रावे चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Maharana Pratap Private ITI
Didohar, Birno, Ghazipur- 233300
Uttar Pradesh (PR09001434)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एंकों की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
V.N.P Private ITI
Gorakhpur- 273008
Uttar Pradesh (PR09001655)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


01/09/21

(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Bauhare Hari Singh Private ITI
Ram Nagariya Iglas, Aligarh- 202124
Uttar Pradesh (PR09001889)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिल्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।**प्रति:-**

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


01/09/21

(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Maya Deep Private ITI
Raipur Dalpatpur, Ramghat Road
Atrauli Aligarh- 202281, Uttar Pradesh (PR09001781)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय
रवि 01/09/2021

(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।**प्रति:-**

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Kaushalya Devi Smarak Private ITI
Ram Nagar Amawa Sufi,
Faizabad- 224121, Uttar Pradesh (PR09001830)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(रावि चिलुकुटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
K. D. Singh Private ITI
Vill & Post Maritar Ballia- 277202
Uttar Pradesh (PR09001960)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Vikas Private ITI
Ariyana- 224122
Uttar Pradesh (PR09900015)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(पी.एम. दामोदरम) 01/09/21

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Ram Nagina Private ITI
Mau Paraseen Tiyaara Morh
Mehnajpur Azamgarh- 229206
Uttar Pradesh (PR09900105)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)
भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Kishor Memorial Private ITI
Village- Rampur Bakhariyan,
Post- Khurahat Mau- 276403
Uttar Pradesh (PR09900109)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


01/09/21

(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Ch Hukum Singh Private ITI
797,6th Km Stone, Village-Chanderu,
Delhi Road, Bulandshahr- 203001
Uttar Pradesh (PR09900126)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



01/09/21

(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Chandrakali Private ITI
Mubarak Pur Allahabad- 212402
Uttar Pradesh (PR09900179)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(रावे चिलकुटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Maa Madhuri Private ITI
Village- Pindahara, Post - Bansdih
Ballia- 277202, Uttar Pradesh (PR09900243)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Sri Sai Private ITI
Vill - Bankat, Post - Basgit Azamgarh- 276128
Uttar Pradesh (PR09900251)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


01/09/21

(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Dynamic Private ITI
Vill+Post-Akalsiya Tahsil -Behat
Distt-Saharanpur-247120, Uttar Pradesh (PR09900282)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एंकों की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Smt. Hari Pyari Devi Private ITI
Garhi Baldev Uncha Road Shamsabad, Agra- 283125
Uttar Pradesh (PR09900305)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(रवि चित्कारा)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Maa Shardey Private ITI
Vill-Hastpur, Post-Chandfari, Distt-Aligarh- 202124
Uttar Pradesh (PR09900381)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय

21/09/2021
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालयकमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
RSL Private ITI
Vill Devkathiya Post Andhaun
Distt Ghazipur- 233001, Uttar Pradesh (PR09900408)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिल्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


01/09/21

(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012.

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
R R Sainik Private ITI
Ghoghawa, Rampur Ghazipur-233223
Uttar Pradesh (PR09900426)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Mata Keshari Genda Private ITI
Vill- Diliya, Post- Talwal, Ghazipur 233001
Uttar Pradesh (PR09900507)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एंकों की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(रवि चिल्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Gangorti Devi Private ITI
Vill&post-jungle dumari no1 dist-gorakhpur 273306
Uttar Pradesh (PR09900509)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।**प्रति:-**

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Jagdish Pandey Private ITI
Vill/Post-Pekur Tehsil-Bansi Siddharth Nagar- 272153
Uttar Pradesh (PR09900523)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एंकों की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चितुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।**प्रति:-**

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Veer Bhoomi Bundelkhand Private ITI
Ranipur Jhansi- 284205
Uttar Pradesh (PR09900560)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में व्यवसाय / एकंको की वृद्धि करने के लिए आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया गया है।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 01.09.2021

To,

The Principal,
Kuwar Private ITI
Vill - Ghatampur Post- Baramai Sadabad
Dist Hathras- 281302, Uttar Pradesh (PR09900588)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 3380/ टी-3 / रा० प० / सं० / मान्यता/ 2021 दिनांक 17.08.2021 (क्रम संख्या 3) के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवकि - आपके संस्थान को वर्ष 2019-2020 में आवेदन किया गया था किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी फेक बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया था।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 16.09.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


01/09/21

(पी.एम. दामोदरम)

सहायक निदेशक, प्रशिक्षण